d:\a.k.chholak\letter_a4.docx

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक : प.15(8)साप्र/5/2014 जयपुर, दिनांकः 28.10.2014

प्रबन्धक,
समस्त विश्राम भवन,
राजस्थान।

विषय :– 46 नगर निकायों के साधारण निर्वाचन एवं 12 नगर निकायों के वार्डो में उप चुनाव हेतु चुनाव कार्यक्रम की घोषणा।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान से प्राप्त पत्र क्रमांकः एफ.4(1)(3)/नपा/रानिआ/14/5048 दिनांकः 28.10.2014 की छाया प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि कृपया राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के दौरान आयोग के दिशा–निर्देशों (सा0प्र0वि0 की साईट पर भी उपलब्ध है) की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– उपर्युक्तानुसार।

भवदीय

(अरविन्द कुमार छोलक)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर को उनके उपर्युक्त संदर्भ में।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
3. सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1,2,3,4,5,6) विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग/स्टेट मोटर गैराज विभाग/सम्पदा विभाग/मंत्रिमण्डल सचिवालय।
4. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

558215
28-10-14

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.4(1)(3)/नपा/रानिआ/14/ 5048 दिनांकः 28.10.2014

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेस–नोट

विषय :– 46 नगर निकायों के साधारण निर्वाचन एवं 12 नगर निकायों के 13 वार्डो में उप चुनाव हेतु चुनाव कार्यक्रम की घोषणा।

राज्य के 46 नगर निकायों (सूची संलग्न) का कार्यकाल दिनांक 27.11.2014 को समाप्त हो रहा हैं। इसके अतिरिक्त 12 नगर निकायों के 13 वार्डो (सूची संलग्न) के सदस्यों के रिक्त पदों को भरने हेतु उप चुनाव कराया जाना है। अतः इनके साधारण/उप निर्वाचन कराने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है, जो निम्न प्रकार है :–

चुनाव कार्यक्रम

1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	07.11.2014 (शुक्रवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	11.11.2014 (मंगलवार)
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	12.11.2014 (बुधवार)
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की अन्तिम तिथि	14.11.2014 (शुक्रवार)
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	15.11.2014 (शनिवार)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	22.11.2014 (शनिवार) (प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक)
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	25.11.2014 (मंगलवार) (प्रातः 8 बजे से)
8.	अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन की तिथि	26.11.2014 (बुधवार)
9.	उपाध्यक्षीय पदों के निर्वाचन की तिथि	27.11.2014 (गुरूवार)

मतदाता एवं मतदान केन्द्र

राज्य की 46 नगर निकायों में आम चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 14.10.2014 को कर दिया गया है। इसके अनुसार 63 लाख 09 हजार 9 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगें। इनमें 33 लाख 19 हजार 738 पुरूष, तथा 29 लाख 89 हजार 246 महिला तथा 25 अन्य मतदाता है। मतदान इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से होगा। 24 जिलों की 46 नगरपालिकाओं के 1696 वार्डो के लिए मतदान हेतु 6135 मतदान केन्द्र स्थापित किये गए हैं।

उप चुनाव हेतु मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा हैं। कार्यक्रमानुसार उपचुनाव हेतु मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 03.11.2014 को होना है।

मतदाताओं की पहचान

राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश दि. 3131/10.09.09, 4796/09.11.09 एवं 494/11.02.14 द्वारा मतदाताओं की पहचान हेतु कुल 19 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों को अनुमोदित किया है। मतदान हेतु आने वाले मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उसे जारी फोटो मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता फोटो मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने मे असफल रहता है तो इसके लिए 19 अन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त अनुमोदित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। यदि परिवार के मुखिया के पास उक्त फोटोयुक्त दस्तावेज है और उस परिवार के किसी सदस्य के पास नही है, तो परिवार के मुखिया की पहचान के आधार पर भी मतदाता की पहचान स्थापित की जा सकेगी, बशर्ते कि परिवार का मुखिया भी साथ हो। अतः सभी मतदाताओं से अपील है कि, मतदान के समय आयोग के उक्त आदेश के तहत दस्तावेजों को साथ लेवें, जिससे मतदान शान्तिपूर्वक एवं निष्पक्षता से सम्पन्न हो सके।

आदर्श आचार संहिता

दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान सम्बन्धित निकाय/निर्वाचन क्षेत्रों में लागू हो गए हैं। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान चुनाव प्रकिया सामाप्ति तक प्रभावी रहेंगे।

28/10/14
(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव

46 नगर निकायों की सूची जहां नवम्बर, 2014 में चुनाव होने हैं

क्रम. सं.	नाम जिला		नाम नगरपालिका
1.	अजमेर	1.	ब्यावर नगरपरिषद
		2.	पुष्कर
2.	अलवर	3.	अलवर नगरपरिषद
		4.	भिवाड़ी नगरपरिषद
3.	बांसवाड़ा	5.	बांसवाड़ा नगरपरिषद
4.	बाड़मेर	6.	बाड़मेर नगरपरिषद
		7.	बालोतरा नगरपरिषद
5.	बीकानेर	8.	बीकानेर नगरनिगम
6.	बारां	9.	छबडा
		10.	मांगरोल
7.	भरतपुर	11.	भरतपुर नगरनिगम
8.	चित्तौड़गढ़	12.	चित्तौड़गढ़ नगरपरिषद
		13.	निम्बाहेडा
		14.	रावतभाटा
9.	चूरू	15.	चूरू नगरपरिषद
		16.	राजगढ़
10.	हनुमानगढ़	17.	हनुमानगढ नगरपरिषद
11.	जैसलमेर	18.	जैसलमेर नगरपरिषद
12.	जालौर	19.	जालौर नगरपरिषद
		20.	भीनमाल
13.	जयपुर	21.	जयपुर नगर निगम
14.	झुंझुनूं	22.	झुंझुनूं नगरपरिषद
		23.	पिलानी
		24.	बिसाऊ
15.	जोधपुर	25.	जोधपुर नगरनिगम
		26.	फलौदी
16.	कोटा	27.	कोटा नगर निगम
		28.	सांगोद
		29.	कैथून
17.	नागौर	30.	डीडवाना
		31.	मकराना नगरपरिषद
18.	पाली	32.	पाली नगरपरिषद
		33.	सुमेरपुर
19.	राजसमंद	34.	नाथद्वारा
		35.	आमेट
20.	सीकर	36.	सीकर नगरपरिषद
		37.	नीमकाथाना
21.	श्रीगंगानगर	38.	गंगानगर नगरपरिषद
		39.	सूरतगढ़
22.	सिरोही	40.	सिरोही नगरपरिषद
		41.	माउन्ट आबू
		42.	शिवगंज
		43.	पिण्डवाड़ा
23.	टोंक	44.	टोंक नगरपरिषद
24.	उदयपुर	45.	उदयपुर नगरनिगम
		46.	कानोड़

28/10/14

माह नवम्बर, 2014 में उप चुनाव हेतु रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	न.पा. /न.प./ न.नि. का नाम	रिक्त वार्ड संख्या
1.	बीकानेर	देशनोक	3
2.	चित्तौडगढ	बेगूं	9
3.	चूरू	रतनगढ	23
		राजलदेसर	01
4.	धौलपुर	धौलपुर	01
5.	जयपुर	चाकसू	14
6.	करौली	करौली	25
7.	नागौर	लाडनू	23
			28
8.	पाली	फालना–खुडाना	11
9.	सीकर	फतेहपुर	13
		श्रीमाधोपुर	1
10.	श्रीगंगानगर	करणपुर	2

28/10/14

F:\Sanjay\GOPI'S DATA\NP\F4(1)(3)NP SEC 14_Gen. Election_Prg.2014.doc
11

राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिये आदर्श आचरण संहिता

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

राजस्थान, जयपुर

2014

द्वितीय तल, विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर

(1) (क) मंत्रियों को अपने शासकीय दौरों को निर्वाचन में निर्वाचन से संबंधित प्रचार कार्य के साथ नहीं जोडना चाहिये और निर्वाचन के दौरान प्रचार करते हुये शासकीय मशीनरी अथवा कार्मिकों का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

(ख) सरकारी विमानों, गाडियों सहित सरकारी वाहनों, मशीनरी और कार्मिकों का सत्ताधारी दल के हित को बढावा देने के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा।

(2) सत्ताधारी दल को चाहिये कि वह सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान इत्यादि पर निर्वाचन सभाएं आयोजित सभाएं आयोजित करने और निर्वाचन के संबंध में हवाई उडानों के लिये हैलिपैड के इस्तेमाल करने के लिये अपना एकाधिकार न जमाएं । ऐसे स्थानों का प्रयोग दूसरे दलों और अभ्यर्थियों को भी उन्हीं शर्तों पर करने दिया जाए जिन शर्तों पर सत्ताधारी दल उनका प्रयोग करता है।

(3) सत्ताधारी दल या उसके अभ्यर्थियों का विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों पर एकाधिकार नहीं होगा और ऐसे आवासों का प्रयोग निष्पक्ष तरीके से करने के लिये अन्य दलों और अभ्यर्थियों को भी अनुमति दी जायेगी लेकिन कोई भी दल या अभ्यर्थी ऐसे आवासों का व इनके साथ संलग्न परिसरों का प्रचार कार्यालय के रूप में या निर्वाचन प्रोपेगंडा के लिये कोई सार्वजनिक सभा करने की दृष्टि से प्रयोग नहीं करेगा या प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(4) निर्वाचन अवधि के दौरान, राजनैतिक समाचारों तथा प्रचार की पक्षपातपूर्ण **ख्याति** के लिये सरकारी खर्चे से समाचार पत्रों में या अन्य माध्यमों से ऐसे विज्ञापनों का जारी किया जाना, तथा सरकारी जन–माध्यमों का दुरूपयोग कर्तव्यनिष्ठ होकर बिल्कुल बन्द रहना चाहिये जिनमें सत्ताधारी दल के हितों को अग्रसर करने की दृष्टि से उनकी उपलब्धियाँ दिखाई गई हों।

(5) मंत्रियों और अन्य प्राधिकारियों को उस समय से जब से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किये जाते हैं,